

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2/14-दो/14

जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के दिंडु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 20-5-14 के विरुद्ध पेश किया गया है। आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने पूर्व से प्रचलित प्रकरण को सुनवाई हेतु स्वीकार किए जाने के कारण आलाच्य प्रकरण में हल्का पटवारी को समस्त सहखातेदारों के हिस्से को अलग-2 दशाते हुए बंटवारा सूची पेश करने हेतु निर्देश दिए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में कोई विधिक या सारवान त्रुटि पतीत नहीं होती है। प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में अभी होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p> <p>अवेदक सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p style="text-align: center;">               सदस्य         </p>

...

1- शारणा प्रसाद पुत्र कुन्डीलास भेकरीर आयु 33 साल

निवासी जलदेहा गावठा तहसील जाधटा जिला सीहोर-निगरासिकता

दि 19/8

2- सोपानसिंह पुत्र रामचरण आयु 32 साल निवासी

शाम बसुडियासूखा तहसील जाधटा

3- बहादुरसिंह पुत्र रामचरण आयु 32 साल

निवासी मेवाडा बगौनी जाधटा जिला सीहोर

4- कृपालसिंह पुत्र रामचरण आयु 30 साल

5- गजराजसिंह पुत्र जसवंतसिंह आयु 29 साल

निवासी गण बसुडियासूखा तहसील जाधटा

6- देवाजी पुत्र जसवंतसिंह आयु 40 साल निवासी

ग्राम गौरातकला, तहसील जाधटा

7- नरेश पुत्र जसवंतसिंह आयु 38 साल

8- रमेश पुत्र जसवंतसिंह आयु 37 साल

9- केशवदाई अवधवा जसवंतसिंह 70 साल

6सैठ निवासी बसुडियासूखा तहसील जाधटा

10- राजमल पुत्र हेमराज आयु 56 साल

11- लक्ष्मण पुत्र हेमराज आयु 54 साल

12- आत्माराम पुत्र राजमल आयु 34 साल

13- सुरेन्द्र पुत्र राजमल आयु 30 साल

14- लोकेन्द्र पुत्र राजमल आयु 27 साल

15- लक्ष्मीनारायण पुत्र राजमल आयु 25 साल

16- रामेश्वर पुत्र राजमल आयु 23 साल

तभी जातगेहलोत निवासी ग्राम वाचाखेड़ी

तहसील जाधटा, जिला सीहोर म-प्र- रेसिडेंट-टल

--- जंकीन कारा 30 म-प्र- भू रा. सं- वरुद्ध आदेशा तदनाई

...

...